

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी डॉ. गुंजन सोनी आर.ए.एस.)

प्रो सं० 18/2018

- उप तहसीलदार छानी बड़ी जरिए जगदीश प्रसाद पुत्र श्री किशना राम जाति मीणा निवासी लम्बोर छिम्पियान तहसील राजगढ़ जिला चूरू ।

— प्रार्थी

बनाम्

- ओम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा
- ग्राम पंचायत छानी बड़ी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत छानी बड़ी तहसील भादरा ।
- अध्यक्ष प्रशासन एवं स्थापना समिति पंचायत समिति भादरा तहसील भादरा ।
- असमानी पत्नी जयसिंह ।
- भरतसिंह 6. राजेन्द्र पि० जयसिंह ।
- सावित्री पुत्री जयसिंह ।
- बलवान 9. अमरपती 10. कमला 11. बिमला 12. शान्ति 13. सिलोचना पुत्र व पुत्रिया भोमाराम ।

— अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध निर्णय दिनांक : 31.08.2018 पत्रांक : 2831/2018 बअनवानी स्टेट बनाम रामचन्द्र आदि वापिस लौटाई गई पत्रावली को स्वीकार किये जाने बाबत एवं जोहड़ पायतन की भूमि पर जारी किये गये पट्टों पट्टा दिनांक : 11.11.1967 को निरस्त किये जाने बाबत ।

उपस्थित:- पैरोकार राज

श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता, अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 16.07.2021

संक्षेप में निगरानी प्रार्थी की ओर से निम्न प्रकार से हैं :-

- अपीलाधीन विरुद्ध निर्णय दिनांक 31.08.2018 पत्रांक सं० 2831/2018 बअनवानी स्टेट बनाम रामचन्द्र आदि विधि विरुद्ध एवं गैर कानूनी ढंग से पारित किया गया है जो अपास्तनीय है ।
- अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने एक अपील इस आशयक की पेश की ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. के खसरा नं० 89 की 0.405 है० भूमि गैर मुमकिन पाल है जिसमें 400 वर्ग फुट पर ओम पुत्र शिशपाल जाति जाट ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रखा है तथा उसने अपने अतिक्रमण वाली जगह के अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के साथ साजबाज कर पट्टे क्रमशः भोमाराम पुत्र शेराराम निवासी छानी बड़ी के नाम पट्टा नं० 0 दिनांक : 11.11.1967 तादादी 25 गुणा 30 वर्ग गज का जारी करवा लिया है।

3. अप्रार्थीगण संख्या 2 ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में पट्टा जारी करने का अधिकार है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ओम पुत्र शिशपाल ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत छानी बड़ी से दुःरभि सन्धि करके करके राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने के गरज से ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा चक 5 सी.एच.एन. जो खसरा नं० 89 की 0.405 हैक्ट भूमि गैर मुमकिन जोहड़ पायतन पाल है जिसमें 400 वर्ग फुट जो राज्य सरकार की सम्पत्ति है, जो आबादी भूमि से अलग है, जो रिकार्ड में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन पल दर्ज है, को बिना अधिकार के खिलाफ कानून न् अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत से मिली भगत कर भोमाराम पुत्र शेराराम व अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बिना अधिकार खिलाफ कानून पट्टे जारी कर जो विधि विरुद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 के विरुद्ध उक्त अतिक्रमण के लिए प्रार्थी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत दिनांक : 20.11.2014 को अतिक्रमी घोषित किया जा चुका है।

4. अप्रार्थीगण संख्या 1 विधि विरुद्ध जोहड़ पायतन पाल की जगह पर गैर कानूनी ढंग से उनके पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 जारी तथाकथित पट्टे के आधार पर अपने अतिक्रमण को पुख्ता करने के लिए निर्माण पर तुले हुए हैं एवं पट्टे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अतिक्रमण हटाने जाने की सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं जिससे प्रार्थी को अपूर्ण क्षति हो रही है। इसलिए उक्त पट्टे तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाने का अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया है। उक्त पट्टा को विधि विरुद्ध जारी होना बताते हुये व पट्टा की जानकारी से अपील अन्दर मियाद बताते हुए खारिज किया है एवं अधीनस्थ न्यायालय में अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई परन्तु मातहत अदालत द्वारा मात्र एक पत्रांक के आधार पर अपील मूल ही उचित हेतु वापिस लौटा दी गई कि अपील राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 61(1) के तहत समय अवधि 30 दिवस अधिक होने पर स्वीकार नहीं की जा सकती है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील वापिस लौटाई जाने से व्यथित होकर प्रार्थी निम्न आधारों पर निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

(क) यह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 के पक्ष में ग्राम छानी बड़ी के रोही मौजा 5 सी.एच.एन जो खसरा नं० 89 की 0.405 हैक्ट भूमि गैर मुमकिन पाल है जिसमें 400 वर्ग फुट में से

अप्रार्थीगण संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 के साथ साजबाज कर पट्टे क्रमशः ओम पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी छानी बड़ी के नाम पट्टा नं० 0 दिनांक : 11.11.1967 तादादी 25 गुणा 30 वर्ग गज का जारी करवा लिया है। अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी पट्टे जो कि रिकार्ड में गैर मुमकिन जोहड़ पायतन पाल दर्ज है, का पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया था एवं ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा जारी पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया था जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा अपील पेश की गई थी एवं मातहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपना कर मूल ही पत्रावली वापिस लौटा दी गई एवं मातहत अदालत द्वारा कतई गलत तौर से पत्रावली वापिस लौटाई गई है एवं उपरोक्त निर्णय विधिक अवहेलना में पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है।


(ख) यह कि अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम पंचायत छानी बड़ी द्वारा पाल की भूमि पर जारी किये हैं न कि आबादी भूमि पर जारी किये हैं जो अपास्तनीय है।

(ग) यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर मातहत अदालत ने कतई गौर नहीं किया है एवं मातहत अदालत द्वारा बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपना कर पत्रावली लौटा दी गई जो कतई नियम विरुद्ध एवं बिना विश्लेषण के निर्णय पारित किया गया है जो अपास्तनीय है।

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर निगरानी अधीन निर्णय दिनांक : 31.08.2018 पत्रांक : 2831/2018 बअनवानी स्टेट बनाम ओम आदि निरस्त फरमाया जावे एवं पट्टा दिनांक 11.11.1967 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। दिनांक : 13.09.2019 को उप तहसीलदार छानी बड़ी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) पेश किया जो शामिल पत्रावली है। मूल पट्टाधारक भोमाराम पुत्र शेराराम जाति जाट के नाम से बना हुआ है परन्तु भोमाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी तहसील भादरा फौत हो चुका है जिनके वारिस को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि उक्त सभी अतिक्रमियों द्वारा जोहड़ पायतन पाल की भूमि पर कब्जा कर रखा था उन्हें मौके से वेदखल कर दिय गया है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर
मेहर (हनुमानगढ़)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विविसम्मत व पुरी प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। हमारे पट्टे को बहाल रखा जावे व निगरानी अस्वीकार फरमावे।

बहस पर मनन किया व पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी चक 5 सी.एच.एन. संवत् 2073-2076 के खसरा नं० 89 की 0.405 है० भूमि की किस्म गैरमुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत इस श्रेणी की भूमि को अन्य उद्देश्य के लिए आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल रिट (पीआईएल) सं० 1554/04 निर्णय दिनांक : 12.01.17 अनवान गुलाब बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य तथा डी.बी.सिविल रिट सं० 1536/03 निर्णय दिनांक : 02.08.2004 अनवान अब्दुल रहमान बनाम स्टेट व अन्य में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि नदी, नाला, वन विभाग एवं कैचमेण्ट एरिया में स्थित भूमि को अन्य किसी उद्देश्य के आवंटन/आरक्षित नहीं किया जा सकता। चूंकि हस्तगत निगरानी में जो आवासीय पट्टे ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये हैं, वह जोहड़ की भूमि की पायतन (पाल) पर जारी किये गये हैं। ऐसे विधि विरुद्ध पट्टों को उक्त न्यायिक दृष्टान्तों व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः राज्य पक्ष द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना स्वीकार किया जाकर हस्तगत पट्टा दिनांक : 11.11.1967 साईज 25 गुणा 30 वर्गफुट जो भोमाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी छानी बड़ी के नाम ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक : 11.11.1967 को जारी किया गया है, को निरस्त किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक : 16.07.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। शामिल मिसल रहें।

(डॉ. गंजन सोनी आर.एस.)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
नाहर (हनुमानगढ़)